

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</b></p> <p style="text-align: center;">प्रार्थनापत्र/एल.आर./857/2006/श्रीगंगानगर ओमप्रकाश बनाम रामनारायण</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</b></p> <p style="text-align: center;"><b>एकल-पीठ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य</b></p> <p style="text-align: center;"><b>-आदेश-</b></p> <p style="text-align: right;"><b>दिनांक:- 15-04-2026</b></p> <p>पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश हुई। उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री लूणकरण पाण्डिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि मण्डल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-08-1995 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या- 4059/95 प्रस्तुत की गयी जिसका निर्णय दिनांक 12-08-2002 को करते हुए प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निस्तारण हेतु राजस्व मण्डल को प्रतिप्रेषित किया गया व अपील का निस्तारण 3 माह की अवधि में किए जाने के दिशा-निर्देश प्रदान किए।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता का स्वर्गवास होने के कारण प्रार्थीगण को मण्डल न्यायालय की ओर से दिनांक 24-07-2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करते हुए दिनांक 26-08-2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आए है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों की उपस्थिति के अभाव में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>( राजेश कुमार दड़िया )</b> सदस्य</p>	